

अनुदान संख्या 78 - ग्रामीण विकास विभाग
GRANT No. 78-DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

कुल अनुदान वास्तविक व्यय बचत-
Total Actual Saving-
grant expenditure

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	39073,18,00	55528,40,00	52904,08,63	-2624,31,37
पूरक	Supplementary	16455,22,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,23,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, कुल बचतें (262431.37 लाख रु.) अगस्त, 2006, दिसंबर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 1645522.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 16 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

1. In the grant, the overall savings (Rs.262431.37 lakhs) constituted 16 percent of the supplementary grants of Rs.1645522.00 lakhs obtained in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 and 5 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष '3451''	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services	1184.00	1177.41	-6.59	
मुख्य शीर्ष '2216''	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	262505.00	291084.00	291079.52	-4.48
पु.	R.	28579.00			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष '2501'' ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Major Head "2501" Special Programmes for Rural Development			
मू.	O.	108000.00		
पू.	S.	1.00	119449.00	118969.79
पु.	R.	11448.00		-479.21
मुख्य शीर्ष '2505'' ग्रामीण रोजगार	Major Head "2505" Rural Employment			
मू.	O.	2417000.00		
पू.	S.	1620502.00	4102963.00	3842132.93
पु.	R.	65461.00		-260830.07
मुख्य शीर्ष '2515'' अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programmes			
मू.	O.	34955.00		
पू.	S.	18.00	36976.22	36781.49
पु.	R.	2003.22		-194.73
मुख्य शीर्ष '2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	225256.00		
पु.	R.	-225256.00
मुख्य शीर्ष '3054'' सड़क तथा सेतु	Major Head "3054" Roads and Bridges			
मू.	O.	857868.00		
पू.	S.	25001.00	999925.00	999531.88
पु.	R.	117056.00		-393.12

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष
मुख्य शीर्ष '3601'
राज्य सरकारों को
सहायता अनुदान

Head
Major Head "3601"
Grants-in-aid to
State Governments

मू. O. 550.00

पु. R. 185.78

735.78 735.61 -0.17

(I) 225556.00 लाख रु. का प्रावधान पंद्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 225421.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.225556.00 lakhs remained wholly un-utilised under fifteen heads; of these Rs.225421.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष '2501' - "स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - प्रबंधन सूचना प्रणाली का सुदृढीकरण" - 300.00 लाख रु. - प्रबंधन सूचना प्रणाली का सुदृढीकरण संबंधी परियोजना को शुरू न किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2501" - "Self Employment Programme - Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana- Strengthening of Management Information System" - Rs.300.00 lakhs - due to non-taking up the project for strengthening of Management Information System.

(खा) मुख्य शीर्ष '2552' -

(B) Major Head "2552" -

(क) "ग्रामीण आवास - अन्य व्यय - इंदिरा आवास योजना" - 29495.00 लाख रु.;

(a) "Rural Housing - Other Expenditure - Indira Awaas Yojana" - Rs.29495.00 lakhs;

(ख) "स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य अभिकरणों को सहायता" - 12000.00 लाख रु.;

(b) "Self Employment Programme - Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies/Other Agencies" - Rs.12000.00 lakhs;

(ग) "अन्य कार्यक्रम - संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य अभिकरणों को सहायता" - 30000.00 लाख रु.;

(c) "Other Programme - Sampurna Gramin Rojgar Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies/Other Agencies" - Rs.30000.00 lakhs;

(घ) "अन्य कार्यक्रम - ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए सहायता - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला कार्यक्रम समन्वयक और अन्यो को सहायता" - 113000.00 लाख रु.;

(d) "Other Programme - Assistance for Rural Employment Guarantee Scheme - Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Coordinator and Others" - Rs.113000.00 lakhs;

- (ड) “अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - प्रशिक्षण” - (e) “Other Rural Development Programme – Training” –
- (i) “राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान ” - 190.00 लाख रु.; (i) “Grant to National Institute of Rural Development” – Rs.190.00 lakhs;
- (ii) “राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को सहायता” - 600.00 लाख रु.; (ii) “Assistance to State Institute of Rural Development” – Rs.600.00 lakhs;
- (च) “अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - अन्य व्यय” - (f) “Other Rural Development Programme – Other Expenditure” –
- (i) “संचार” - 180.00 लाख रु.; (i) “Communication” – Rs.180.00 lakhs;
- (ii) “जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन” - 2200.00 लाख रु.; (ii) “DRDA Administration” – Rs.2200.00 lakhs;
- (iii) “निगरानी व्यवस्था” - 200.00 लाख रु.; और (iii) “Monitoring Mechanism” – Rs.200.00 lakhs; and
- (छ) “जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना” - 37256.00 लाख रु.। (g) “District and Other Roads – Road Works – Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana” – Rs.37256.00 lakhs.

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above ten heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष ‘2215’ - “प्रशिक्षण - राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान” के अंतर्गत 1880.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 16.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1896.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 327.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “2515” – “Training – Grants to National Institute of Rural Development” – the original provision of Rs.1880.00 lakhs was augmented to Rs.1896.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.16.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.327.00 lakhs (including supplementary grant) - due to availability of unspent balance of previous years.

(III) मुख्य शीर्ष ‘2216’ - “ग्रामीण आवास - अन्य व्यय - ग्रामीण भवन केंद्र/अभिनवरूप” के अंतर्गत 764.00 लाख रु. की बचत (802.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता की वजह से चालू परियोजनाओं के लिए उपयुक्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head “2216” - “Rural Housing – Other Expenditure – Rural Building Centres/Innovative Stream” - saving of Rs.764.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.802.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate number of proposals for ongoing projects owing to availability of unspent balance with the implementing agencies.

(IV) मुख्य शीर्ष '2501' - "स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना - विपणन" के अंतर्गत 167.04 लाख रु. की बचत (970.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरस क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए दूसरी किस्त जारी करने के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से विभिन्न राज्यों में कम विपणन क्रियाकलापों के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष '2505' - "अन्य कार्यक्रम" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए सहायता"-

(क) "जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला कार्यक्रम समन्वयक और अन्यो को सहायता" - 146304.46 लाख रु. की बचत (1010390.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने की वजह से राज्य सरकारों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "मानव संसाधन विकास/प्रशिक्षण" - 1786.62 लाख रु. की बचत (5500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्य स्कीमों के अंतर्गत एसआईआरडी (राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों) के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करने की वजह से प्रशिक्षण के प्रस्तावों को मूर्तरूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "आरक्षित निधि को अंतरण - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि को अंतरण" - 260575.00 लाख रु. की बचत (1130000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए जिलों से निधियों की कम मांग होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष '2515' - "अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "निगरानी व्यवस्था" - 722.01 लाख रु. की बचत (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय वर्ष के आरंभ से जिला स्तर पर निगरानी प्रारंभ न किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2501" - "Self Employment Programme - Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana - Marketing" - saving of Rs.167.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.970.00 lakhs) was due to less marketing activities in various states owing to non-finalisation of proposals for release of 2nd instalment for taking up of SARAS activities.

(V) Under Major Head "2505" - "Other Programmes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance for Rural Employment Guarantee Scheme" -

(a) "Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Coordinator and Others" - saving of Rs.146304.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1010390.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from State Governments owing to availability of unspent balance with implementing agencies.

(b) "Human Resources Development/ Training" - saving of Rs.1786.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5500.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals for training owing to implementation of training programmes through SIRD under another schemes.

(B) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to National Rural Employment Guarantee Fund" - saving of Rs.260575.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1130000.00 lakhs) was due to less demand of funds from districts for National Rural Employment Guarantee Scheme.

(VI) Under Major Head "2515" - "Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Monitoring Mechanism" - saving of Rs.722.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs) was due to non-launching of district level monitoring from the beginning of financial year.

(खा) “लोक कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद को अनुदान” - 3500.00 लाख रु. की बचत (7000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत 86.31 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 48 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (348814.22 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 25022.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2501” - “स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्णज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना” -

(क) “जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों और अन्यो को सहायता” - 11653.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 11176.66 लाख रु. था।

(ख) “डीएफआईडी सहायता - जनजाति समुदायों के सतत विकास के लिए गिरी प्रगति” - 258.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 257.00 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष “2505” - “अन्य कार्यक्रम - संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना” -

(क) “रोकड़ संघटक” - 76699.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 76456.86 लाख रु. था।

(ख) “खाद्यान्न संघटक” - 136837.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 136836.00 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष “2515” -

(क) “प्रशिक्षण - राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों और अन्य अभिकरणों को सहायता” - 2111.22 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2009.42 लाख रु. था।

(B) “Grants to Council for Advancement of people’s Action and Rural Technology” - saving of Rs.3500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7000.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years.

(VII) Under one head saving of Rs.86.31 lakhs occurred constituting 48 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.348814.22 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.25022.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head “2501” - “Self Employment Programme - Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana” -

(a) “Assistance to District Rural Development Agencies and Others” - Rs.11653.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.11176.66 lakhs.

(b) “DFID Assistance - Gira Pragati for Sustainable development for tribal communities” - Rs.258.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.257.00 lakhs.

(B) Major Head “2505” - “Other Programmes - Sampurna Gramin Rozgar Yojana” -

(a) “Cash Component” - Rs.76699.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.76456.86 lakhs.

(b) “Food Grain Component” - Rs.136837.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.136836.00 lakhs.

(C) Major Head “2515” -

(a) “Training - Assistance to State Institutes of Rural Development and Other Agencies” - Rs.2111.22 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2009.42 lakhs.

(ख) “अन्य व्यय - जिला ग्रामीण विकास अभिकरण - प्रशासन” - 4200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4187.34 लाख रु. था।

(घा) मुख्य शीर्ष “3054” - “जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना” - 117056.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 116662.88 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष “2216” - “ग्रामीण आवास - अन्य व्यय - इंदिरा आवास योजना/समग्र आवास योजना/ऋण एवं आर्थिक सहायता स्कीम” - 29353.57 लाख रु. का अधिक व्यय (261668.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष “2515” - “अन्य व्यय - संचार” - 156.12 लाख रु. का अधिक व्यय (1645.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - प्रशिक्षण - राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों और अन्य अभिकरणों को सहायता” - 185.61 लाख रु. का अधिक व्यय (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत था।

(b) “Other Expenditure - District Rural Development Agencies - Administration” - Rs.4200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4187.34 lakhs.

(D) Major Head “3054” - “District and Other Roads - Road Works - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana” - Rs.117056.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.116662.88 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2216” - “Rural Housing - Other Expenditure - Indira Awaas Yojana/Samagra Awaas Yojana/Credit-cum-Subsidy Scheme” - excess of Rs.29353.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.261668.00 lakhs);

(B) Major Head “2515” - “Other Expenditure - Communication” - excess of Rs.156.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1645.00 lakhs); and

(C) Major Head “3601” - “Grant for Central Plan Schemes - Other Rural Development Programme - Training - Assistance to State Institutes of Rural Development and Other Agencies” - excess of Rs.185.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one head excess of Rs.100.00 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.